प्र.सं. 79/22 भंवरलाल व अन्य बनाम श्रीमती कंकू के बजाय लालूराम व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.05.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव सिन्दु, तहसील मावली में आराजी नंबर 527, 579 से 588, 1885 कुल किता 12 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 लुम्बा व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के खातेदारी में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष तेजा जी थे, जिसके तीन पुत्र मेघा, कालू व लुम्बा हुए। मेघा की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी पुत्री वादिया है तथा लुम्बा प्रतिवादी संख्या 1 है तथा कालू फोत होकर उसके वारिस गणेश, बंशी, लक्ष्मण व प्रेम हुए, जो प्रतिवादी संख्या 2 से 5 हैं। इस प्रकार उक्त आराजियात में वादिया का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का 1/3 हिस्सा बनता है एवं इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना चाहिए था, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लुम्बा ने तेजा जी के स्वर्गवास के बाद अपने व स्वर्गीय कालू को वारिस बताकर सम्पूर्ण भूमि दोनों के नाम दर्ज करवा ली, जबकि विवादित भूमि तेजा की के समय की होकर पैत्रृक भूमि होने से वादिया का भी 1/3 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। अतः वादीया का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात के 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीया अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 13.09.2022 को वादीया का वाद आंशिक स्वीकार कर 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण ने दिनांक 09.11.2022 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल डांगी उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री भूरालाल डांगी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया [illegible] प्रतिवादी बसन्ती पिता	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:06:39 IST
Reason: SelfAttested

लुम्बा की मृत्यु हो गयी, जिसके विधिक वारिसान को बिना कायम मुकाम कराये मृत व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री पारित की गयी है, जो निरस्त योग्य है। अपीलान्ट ने अपना अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था, जिन्होंने कहा था कि हर पेशी पर आने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी बुला लेगें, किन्तु उनके अधिवक्ता ने उन्हें कभी कोई सूचना नहीं दी, जिससे उनके विरूद्ध एकतरफा निर्णय पारित हो गया। वादीया ने अपने आप को मेघा की पुत्री होने का कथन करते हुए 1/3 हिस्से की खातेदारी चाही है, जबकि उसके द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र वादीया की बहस सुनकर मात्र वादीया के कथनों के आधार पर वादिया को मेघा की पुत्री मानकर उसे विवादित भूमि में 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि उन्हें श्रीमती बसन्तीबाई की मृत्यु की जानकारी नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय में वादीया ने सजरा प्रस्तुत कर अपने आप को मेघा की पुत्री होने का कथन किया है, किन्तु इस बाबत् उनके द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे वह मेघा की पुत्री होना साबित होती हो, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र वादीया के मौखिक कथनों के आधार पर वादीया को मेघा की पुत्री मानकर विवादित भूमि में 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 162/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 13.09.2022 अपास्त की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 07.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन सक्षम अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:06:39 IST
Reason: SelfAttested